



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-https://rera.cgstate.gov.in

क्रमांक-02/रेरा/2018/313

रायपुर, दिनांक 29/06/2018

// आदेश //

विषय :- प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत प्रकरणों में आवश्यक कमियों की पूर्ति के संबंध में।


-----00-----

छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत प्रोजेक्ट्स रजिस्ट्रेशन हेतु दिनांक 31 मई, 2018 तक प्राधिकरण को प्राप्त समस्त आवेदन-पत्रों का समुचित परीक्षण कर लगभग 400 से अधिक प्रकरणों में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं।


ऐसे प्रकरण जिनमें परिलक्षित किंचित कमियों के कारण रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किए गए हैं, इनकी सूची प्राधिकरण के वेबपोर्टल <https://rera.cgstate.gov.in/> के डाउनलोड मेन्यू में आर्डर सेक्शन में उपलब्ध है। इन प्रकरणों के समुचित निराकरण हेतु संबंधित प्रमोटर या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उक्त सूची में प्रोजेक्ट्स के नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नं. 05 में अंकित अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कॉलम नं. 06 में नियत तिथि व समय पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित प्रकरणों में कमियों की जानकारी नियत तिथि के दो दिवस पूर्व प्रमोटर द्वारा उल्लेखित मेल-आई.डी. में प्रेषित कर दी जावेगी, ताकि प्रमोटर या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आवश्यक जानकारी/दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण में उपस्थित हो सकें।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)


(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

 छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.